फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

महादेव बनाम रामबाबू

प्रकरण संख्या :- 07/2025

क्रम संख्या	नाक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		पत्रावली आज दिनांक 22/5/25 को पेश हुई वकील पार्टी-प्रार्थी/प्रति- प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते बहस/जवाब रिपोर्ट/ पूर्वनियत कार्यवाही हेतु दिनांक 11/6/25 को पेश हो।	
	वादि	11/06/2025 पत्रावली पेशगी। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पर्याप्त अवसर दे बावजूद अप्रार्थी ने दी अर्थ में जवाब प्रश्नपत्र पेश नहीं हुआ। जवाब प्रश्नपत्र बन्द किया जाता है। उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद ... इन्जाब उपखण्ड स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रश्नपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली कैमल दुमार होरा इर्फ नरेश से रवाना हो।	

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर